भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3336
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

3336. श्री नलीन कुमार कटीलः
श्रीमती सुमलता अम्बरीशः
श्री डी.के. सुरेशः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ए.बी.आर.वाई.) शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ए.बी.आर.वाई. योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले नियोक्ताओं की राज्य और क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त नियोक्ताओं द्वारा अब तक सृजित रोजगार की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है और इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, उन नए कर्मचारियों, जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, के लिए कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं जो 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

(ख) और (ग): इस योजना के अंतर्गत 1 अगस्त, 2021 की स्थिति के अनुसार, 91,980 प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं द्वारा 25.71 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया गया है। 01.08.2021 तक लाभार्थियों तथा जमा किए गए लाभ की राशि का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ): योजना की संपूर्ण अवधि के लिए एबीआरवाई योजना का कुल परिव्यय 22098 करोड़ रुपए है एवं 01.08.2021 को लाभार्थियों के खातों पर 1203.60 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 09-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3336 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

01.08.2021 की स्थिति के अनुसार लाभार्थी प्रतिष्ठानों (प्रतिष्ठानों), कर्मचारियों, लाभ की राशि की राज्यवार सूची

राज्य का नाम	प्रतिष्ठान	लाभार्थियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपए में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	31	293	19,74,355
आंध्र प्रदेश	2,414	70,922	35,52,48,297
अरुणाचल प्रदेश	4	21	1,09,592
असम	324	5,686	2,77,52,803
बिहार	643	11,344	6,61,72,892
चंडीगढ़	1,039	29,708	14,20,39,776
छत्तीसगढ़	1,718	36,255	18,62,69,310
दिल्ली	1,908	90,280	40,34,01,224
गोवा	366	9,829	4,91,74,044
गुजरात	10,032	2,96,191	1,29,95,16,980
हरियाणा	4,863	1,66,049	79,57,86,938
हिमाचल प्रदेश	1,407	38,771	18,20,13,819
जम्मू और कश्मीर	519	8,602	4,47,59,205
झारखंड	1,259	27,330	14,84,61,941
कर्नाटक	6,138	1,98,342	1,02,57,81,106
केरल	1,625	40,396	20,99,24,454
लद्दाख	5	32	1,58,107
मध्य प्रदेश	3,726	87,957	47,99,76,955
महाराष्ट्र	13,469	4,22,193	1,93,00,64,821
मणिपुरी	31	482	25,88,214
मेघालय	26	735	74,59,821
मिजोरम	11	209	20,85,172
नागालैंड	6	38	1,76,986
ओडिशा	2,455	39,759	21,30,38,739
पंजाब	4,284	79,693	41,32,75,383
राजस्थान	6,817	1,39,350	63,23,29,361
सिक्किम	75	1,970	1,31,69,008
तमिलनाडु	9,965	3,33,136	1,32,85,47,759
तेलंगाना	3,232	1,15,940	47,27,37,611
त्रिपुरा	122	2,768	1,62,53,335
उत्तर प्रदेश	7,481	1,81,084	96,80,62,664
उत्तराखंड	1,606	43,138	21,76,19,003
पश्चिम बंगाल	4,379	92,683	40,00,28,160
योग	**91,980**	**25,71,186**	**12,03,59,57,835**